रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244407
SG-DL-E-15032023-244407

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/ फाल्गुन 23, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 561
No. 88]	DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/ PHALGUNA 23, 1944	[N. C. T. D. No. 561

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–II(विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 मार्च, 2023

फा. सं. 20/4/2003/गृ.पु.–II–992.—जबकि, एफ ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास यातायात के सुचारू प्रवाह और स्कूली बच्चों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है;

अतः मैं, शिवे केसरी सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय–2) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफ ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश के सामने संत नगर टी– प्वॉइंट से एफ ब्लॉक की ओर जाने वाली सड़क पर नीचे दिए गए समय के दौरान सभी प्रकार के वाहनों के लिए एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ:–

1. प्रातः 7:30 बजे से 8:15 बजे तक

2. प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व

थानो दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाऐंगे।

यह अधिसूचना पिछली अधिसूचना जो कि संख्या 16070–16220/या. अभि. शा(डी–2)/यातायात दिनांक 05.10.2001 द्वारा जारी की गई थी का अधिक्रमण करती है और तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनॉक 14/03/2023 को जारी किया गया ।

शिवे केसरी सिंह, उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय–II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th March, 2023

F. No. 20/4/2003/HP-II-992.—Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic, convenience and safety of school children and other road users near Delhi Public School, F-Block, East of Kailash, New Delhi;

Now, therefore, I, S.K. Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic, (HQ-II), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic for all type of motor vehicles on road leading from Sant Nagar T-Point towards F-Block infront of Delhi Public School, F-Block, East of Kailash, during the timings mentioned below:-

1. From 7:30 AM to 8:15 AM
2. From 11:15 AM to 1:00 PM

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the offices of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi / New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This notification supersedes previous notification issued vide No. 16070-16220/TE(D-II)/Traffic dated 05.10.2001 and shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 14/03/2023.

S. K. SINGH, Dy. Commissioner of PoliceTraffic (HQ-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.03.15 15:27:51 +05'30'